भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 6124
04 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए

विकलांगता भत्ता

6124. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
श्रीमती भावना गवली (पाटील) :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग से पहले सशस्त्र बलों द्वारा विकलांगता भत्ता से संबंधित व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मौजूदा विकलांगता पेंशन की प्रतिशत प्रणाली को स्लैब आधारित प्रणाली में परिवर्तित करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के बाद विकलांगता पेंशन प्रणाली में उत्पन्न विसंगतियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में रक्षा सेवाओं के विकलांगता पेंशन को सिविल क्षेत्रक के विकलांगता पेंशन के समकक्ष लाने और उसकी समीक्षा करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)

(क) से (ङ): सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने निशक्तता पेंशन पर निम्नलिखित सिफारिश की थी :-

आयोग की यह विचारित राय है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात कार्यान्वित प्रणाली को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, और उन्होंने स्लैब आधारित प्रणाली की बहाली की सिफारिश की थी । 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए निशक्तता घटक हेतु स्लैब दरें निम्नलिखित होंगी:-

रैंक	**लेवल (स्तर)**	**प्रति माह दर (आईएनआर)**
सैन्य अधिकारी	10 एवं उससे ऊपर	27000
मानद कमीशन्ड अधिकारी		
सुबेदार मेजर/समकक्ष	6 से 9	17000
सुबेदार/समकक्ष		
नायब सुबेदार/समकक्ष		
हवलदार/समकक्ष	5 और उससे नीचे	12000
नायक/समकक्ष		
सिपाही/समकक्ष		

उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया गया था और तदनुसार दिनांक 30.09.2016 को संकल्प जारी किया गया था ।

तथापि, प्रतिशत आधार पर निशक्तता घटक की गणना की छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की व्यवस्था, सिविल पक्ष के लिए जारी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई । तदनुसार, मामले को विसंगति समिति को भेजा गया था । विसंगति समिति ने सिफारिश की थी कि निशक्तता घटक जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत रक्षा सेनाओं के कार्मिकों को प्रदान किया गया था, उसे प्रदान करने के लिए सिविलियन कार्मिकों के साथ समानता को जारी रखा जाए जिसे मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था । इस संबंध में सरकारी आदेश 4 सितंबर, 2017 को जारी किया गया है ।

******